

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कार्यालय)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (Office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / वन अपराध / ३२४३

भोपाल, दिनांक १२-७-२०१२

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व,
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
मध्यप्रदेश।

विषय :- वर्षा ऋतु में अवैध कटाई, अतिकमण एवं अवैध शिकार पर नियंत्रण रखने के संबंध में।

वर्षा ऋतु में आवागमन के साधन अवरुद्ध होने के कारण कई बार वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वन क्षेत्रों में गश्ती बाधित हो जाती है, विशेष तौर पर अंदरुनी वन क्षेत्रों में। इस प्रकार की परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्थानीय लोग एवं अन्य अपराधी कई बार वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिकमण एवं अवैध शिकार की बारदातें करते हैं।

पिछले वर्षों का अनुभव रहा है कि अंदरुनी वन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सागौन के क्षेत्रों में अवैध कटाई बरसात के दिनों में सबसे अधिक होती है। स्थानीय ग्रामीण एवं वन अपराधी इन क्षेत्रों में बरसात के दिन में अवैध कटाई करते हैं एवं जैसे ही मौसम खुलता है वह बैलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि से इमारती लकड़ी निकाल कर ले जाते हैं।

इसी प्रकार आबादी से लगे वन क्षेत्रों में अतिकमण भी वर्षा ऋतु में ज्यादा होने की संभावना रहती है। स्थानीय ग्रामीण वर्षा का फायदा उठाकर अवैध कटाई कर अतिकमण करते हैं एवं अतिकमण के उपरान्त उसमें फसल बुआई इत्यादि का कार्य भी करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बरसात के दिनों में इस प्रकार के वन क्षेत्र जो उपरोक्त कार्यों के लिये संवेदनशील हैं, में विशेष सतर्कता बरती जाय तथा बरसात के दिनों में मानसून पेट्रोलिंग हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाय तथा संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त रूप से मानसून पेट्रोलिंग की जाय ताकि अवैध कटाई, अतिकमण और अवैध शिकार पर अंकुश लगा रहे।

कृपया इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें तथा अधिनस्थों को सूचित कर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को दें।

११७

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल